International Journal on Science and Technology (IJSAT)

E-ISSN: 2229-7677 ● Website: www.ijsat.org ● Email: editor@ijsat.org

“भारत में राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीयता पर प्रभाव डालने वाले अपराध: एक विधिक अध्ययन”

डॉ0 सुनील कुमार मिश्रा एवं डॉ० मोनिका सिंह

सारांश-

भारत विविधताओं से भरा हुआ एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहां विभिन्न धर्म, जाति, भाषा और सांस्कृतिक समूहों के लोग रहते हैं। लेकिन राष्ट्र की एकता, अखंडता, पंथनिरपेक्षता और राष्ट्रीयता को प्रभावित करने वाले कई अपराध और चुनौतियाँ सामने आती हैं। इस शोध पत्र में भारतीय विधि व्यवस्था के संदर्भ में इन अपराधों का अध्ययन किया गया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 जैसे प्रमुख कानूनों की समीक्षा की गई है। यह शोध पत्र विधिक दृष्टिकोण से भारत की एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराधों का समग्र अध्ययन प्रस्तुत करता है और न्यायिक सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

संकेत शब्द– राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथनिरपेक्षता, अपराध

प्रस्तावना :-

भारत का संविधान देश की संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को बनाए रखने की गारंटी देता है फिर भी, साम्प्रदायिक हिंसा, आतंकवाद, अलगाववाद, देशद्रोह, और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियाँ इन संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करती हैं। यह शोध पत्र इन अपराधों के कानूनी पहलुओं का विश्लेषण करता है। जिसके लिए सांप्रदायिक हिंसा निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों को न्याय विधेयक, 2005 (Prevention of Communal and Targeted Violence Bill, 2005) लाया गया जिसका उद्देश्य भारत में सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम करना, पीड़ितों को न्याय दिलाना और दोषियों को सजा देना था। यह विधेयक 2005 में प्रस्तावित किया गया था लेकिन कानून के रूप में पारित नहीं हुआ। इस विधेयक का उद्देश्य उन अपराधों से निपटना था जो विशेष रूप से सांप्रदायिक या लक्षित हिंसा के रूप में होते हैं और जिनका उद्देश्य किसी धार्मिक, भाषाई, जातीय या अन्य समूह को नुकसान पहुँचाना होता है। सांप्रदायिक हिंसा को एक संगठित अपराध के रूप में परिभाषित किया गया था। यह विधेयक उन अपराधों को कवर करता था जो किसी समुदाय के खिलाफ पूर्वनियोजित तरीके से किए जाते हैं। पीड़ितों को कानूनी सहायता और पुनर्वास का अधिकार दिया गया। गवाहों और पीड़ितों की सुरक्षा के लिए विशेष उपायों की व्यवस्था थी। सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए विशेष प्रावधान थे। अगर कोई सरकारी अधिकारी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में असफल रहता, तो उसे दंडित किया जा सकता था। सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित मामलों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव था। मामलों की सुनवाई तेज़ी से करने के लिए समयबद्ध प्रक्रिया लागू की जानी थी। कुछ राजनीतिक दलों ने इस विधेयक का विरोध किया क्योंकि इसमें केंद्र सरकार को राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति दी गई थी। कुछ लोगों का मानना था कि यह विधेयक केवल अल्पसंख्यकों के लिए था और हिंदू समुदाय के खिलाफ भेदभाव कर सकता था। कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर अतिरिक्त भार बढ़ने की चिंता जताई गई। व्यापक विरोध और राजनीतिक असहमति के कारण यह विधेयक संसद में पारित नहीं हो सका। 2011 में इसे संशोधित रूप सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम एवं लक्षित हिंसा (न्याय एवं क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2011 में दोबारा पेश किया गया लेकिन फिर भी इसे कानून का रूप नहीं दिया गया। हालांकि, यह विधेयक पारित नहीं हुआ, लेकिन अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989, भारतीय न्याय संहिता (BNS),2023 अशांति फैलाने

International Journal on Science and Technology (IJSAT)

E-ISSN: 2229-7677 ● Website: www.ijsat.org ● Email: editor@ijsat.org

से संबंधित अन्य प्रावधान सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए लागू हैं। सांप्रदायिक हिंसा अधिनियम, 2005 का उद्देश्य सांप्रदायिक दंगों को रोकना और पीड़ितों को न्याय दिलाना था, लेकिन विभिन्न विवादों और राजनीतिक विरोधों के कारण इसे कभी पारित नहीं किया गया। वर्तमान कानूनी ढांचे में सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं।

1. भारतीय संविधान में धार्मिक अपराधों से संबंधित प्रावधान

भारतीय संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और धार्मिक आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 25- धर्म की स्वतंत्रता- प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसे स्वतंत्र रूप से स्वीकारने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है। यह अधिकार भारत के सभी नागरिकों और निवासियों को प्राप्त है। यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर निम्नलिखित आधारों पर प्रतिबंध लगा सकती है यदि कोई धार्मिक प्रथा समाज में हिंसा या अशांति फैलाती है, तो इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। यदि कोई धार्मिक रिवाज या परंपरा सामाजिक नैतिकता के खिलाफ है (जैसे सती प्रथा), तो इसे रोका जा सकता है। यदि कोई धार्मिक प्रथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है (जैसे कुछ स्थानों पर पशु बलि), तो इसे रोका जा सकता है। सरकार को यह अधिकार है कि वह सामाजिक सुधार के लिए कानून बना सके, जैसे कि अछूत प्रथा को खत्म करना या महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना।

अनुच्छेद 26- धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता- प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपनी धार्मिक संस्थाओं (मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि) को स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। यह अधिकार सभी धर्मों के लिए समान रूप से लागू होता है। धार्मिक संस्थाएँ अपनी संप्रदायिक संपत्ति का प्रबंधन कर सकती हैं। धार्मिक समुदाय अपने धार्मिक, दान-पुण्य और कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए संस्थाएँ चला सकते हैं। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। सरकार किसी भी धार्मिक संस्था के प्रबंधन में हस्तक्षेप कर सकती है, यदि वह कानून के खिलाफ कार्य कर रही हो।

अनुच्छेद 27- धर्म के प्रचार के लिए कर से छूट- किसी भी व्यक्ति को धार्मिक उद्देश्यों के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि सरकार किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए कर नहीं लगा सकती। उदाहरण- सरकार मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि के रखरखाव के लिए कर नहीं लगा सकती लेकिन यदि कोई धार्मिक स्थल व्यावसायिक गतिविधि करता है, तो उस पर कर लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद 28- धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान- सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन प्राइवेट स्कूल या अल्पसंख्यक संस्थाएँ धार्मिक शिक्षा दे सकती हैं। यदि कोई स्कूल पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित है, तो वह धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। लेकिन यदि स्कूल सरकार से आंशिक सहायता प्राप्त करता है, तो वह धार्मिक शिक्षा दे सकता है, लेकिन छात्रों को इसे पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

भारतीय संविधान धर्म की स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी धर्म देश के कानून और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ न जाए। अनुच्छेद 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं।

अनुच्छेद 15 और धार्मिक स्वतंत्रता- अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। यह के तहत आता है और नागरिकों को किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचाने का प्रयास करता है। हालाँकि, अनुच्छेद 15 सीधे तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25-28) से संबंधित नहीं है, लेकिन यह धार्मिक भेदभाव को रोकता है, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता को मजबूत किया जाता है। अनुच्छेद 15(1) - भेदभाव पर रोक- राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। उदाहरण- सरकार किसी विशेष धर्म के लोगों को सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं कर सकती। किसी धर्म के व्यक्ति को सार्वजनिक सेवा (बस, होटल, पार्क) के उपयोग से मना नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 15(2) - सार्वजनिक स्थानों तक समान पहुंच-कोई भी नागरिक सार्वजनिक स्थलों, सेवाओं या सुविधाओं के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता (धर्म, जाति आदि के आधार पर) इसमें शामिल हैं:-दुकानें, होटल, रेस्तरां,सार्वजनिक पार्क, सड़कें, कुएँ। उदाहरण:- एक हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई को किसी होटल में ठहरने से नहीं रोका जा सकता। सार्वजनिक पार्क या सड़क पर किसी विशेष धर्म के लोगों को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।

(i) धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक- कोई भी संस्था या सरकार किसी विशेष धर्म के व्यक्ति को सेवाओं से वंचित नहीं कर सकती। उदाहरण:-कोई सरकारी योजना केवल हिंदुओं, मुस्लिमों या किसी विशेष धार्मिक समुदाय तक सीमित नहीं हो सकती।

(ii) धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा- अनुच्छेद 15 धार्मिक अल्पसंख्यकों को भेदभाव से बचाता है और उन्हें समान अधिकार प्रदान करता है। उदाहरण:-किसी विशेष धर्म के लोगों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी धर्म के व्यक्ति को पुलिस सुरक्षा या चिकित्सा सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता।

(iii) सार्वजनिक सेवाओं और धार्मिक स्वतंत्रता- धार्मिक आधार पर किसी को सार्वजनिक सेवाओं से वंचित करना असंवैधानिक है। उदाहरण:- यदि कोई व्यक्ति मुस्लिम या ईसाई होने के कारण होटल में प्रवेश से रोका जाता है, तो यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा। एक मंदिर, मस्जिद या चर्च द्वारा संचालित स्कूल सरकार से सहायता प्राप्त करता है, तो वह धर्म के आधार पर छात्रों के प्रवेश को प्रतिबंधित नहीं कर सकता।

(iv) महिलाओं के लिए धार्मिक स्वतंत्रता और भेदभाव- धार्मिक परंपराओं के नाम पर महिलाओं के साथ भेदभाव अनुच्छेद 15 के खिलाफ हो सकता है। उदाहरण:- सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक का मामला (2018) – सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 15 और 25 के तहत असंवैधानिक बताया।

न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले-

इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य, (2018) 10 एससीसी 689; एआईआर 2018 एससी 4160- सबरीमाला मंदिर प्रवेश मामला (2018)- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश से वंचित करना उनके धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकार (अनुच्छेद 15 और 25) का उल्लंघन है।

अनुच्छेद 15 धार्मिक स्वतंत्रता को मजबूत करता है क्योंकि यह धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पर सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों को समान अवसर और अधिकार दिए जाने चाहिए। यदि किसी धार्मिक प्रथा के कारण भेदभाव होता है, तो यह न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 15 के तहत चुनौती दी जा सकती है।

अनुच्छेद 19(1)(क)- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अन्य नागरिकों के अधिकारों के अधीन होती है। अनुच्छेद 19(1)(क) भारतीय संविधान में "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" का अधिकार प्रदान करता है। यह हर नागरिक को अपने विचारों को व्यक्त करने और उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रचारित करने का अधिकार देता है। हालाँकि, धार्मिक स्वतंत्रता मुख्य रूप से अनुच्छेद 25-28 के तहत आती है, लेकिन अनुच्छेद 19(1)(क) का धार्मिक स्वतंत्रता से गहरा संबंध है क्योंकि यह नागरिकों को अपने धार्मिक विचारों को व्यक्त करने, प्रचार करने और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19(1)(क)- "सभी नागरिकों को वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा।" किसी भी विचार, राय या विश्वास को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सार्वजनिक भाषणों और लेखन के माध्यम से विचार व्यक्त करना। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा और बहस करने का अधिकार।

अनुच्छेद 19(2)- के तहत कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जो निम्नलिखित आधारों पर हो सकते हैं:-

1. राष्ट्र की सुरक्षा
2. विदेशी संबंधों की रक्षा
3. सार्वजनिक व्यवस्था
4. शालीनता और नैतिकता
5. अदालत की अवमानना
6. मानहानि

7. उकसावे से हिंसा
8. संप्रभुता और अखंडता की रक्षा

धार्मिक विचार व्यक्त करने का अधिकार- हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने धर्म से जुड़े विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके। उदाहरण:- कोई व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों पर भाषण दे सकता है। किसी धर्म के समर्थन या आलोचना में लेख लिख सकता है, बहस कर सकता है।

धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता- अनुच्छेद 25(1) में "धर्म के प्रचार" का अधिकार दिया गया है, लेकिन यह अनुच्छेद 19(1)(a) से भी जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के बारे में खुलकर बोल सकता है और उसके प्रचार-प्रसार के लिए लेख, भाषण, वीडियो आदि का उपयोग कर सकता है।

धार्मिक मामलों पर बहस और आलोचना करने का अधिकार- कोई भी नागरिक किसी धर्म या धार्मिक मान्यता पर तर्कसंगत आलोचना कर सकता है। यह आलोचना शांतिपूर्ण और संविधान के दायरे में होनी चाहिए, जिससे समाज में सांप्रदायिकता न फैले। यदि किसी धार्मिक आलोचना से समाज में हिंसा फैलती है, तो अनुच्छेद 19(2) के तहत इसे रोका जा सकता है। उदाहरण:- पेरियार और विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों ने धर्म पर अपने विचार खुलकर व्यक्त किए थे। अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक मान्यता को तर्क के आधार पर चुनौती देता है, तो यह उसका संवैधानिक अधिकार है।

धार्मिक सामग्री का प्रकाशन और मीडिया में प्रसार- अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत कोई भी व्यक्ति धार्मिक विषयों पर पुस्तकें, लेख, ब्लॉग और सोशल मीडिया पोस्ट लिख सकता है। धार्मिक चैनल, वेबसाइट और पत्रिकाएँ इसी अधिकार का प्रयोग करके काम करती हैं। लेकिन, यदि यह सामग्री समाज में नफरत फैलाने, हिंसा भड़काने या किसी धर्म के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से बनाई जाती है, तो इसे अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है।

न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले-

प्रकाश कुमार बनाम केरल राज्य (2006)- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक मान्यताओं की आलोचना भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है, जब तक कि वह आलोचना सार्वजनिक व्यवस्था को भंग न करे।

रजत दत्ता बनाम भारत सरकार (2015)- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी नागरिक को अपने धार्मिक विचार व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन यदि यह विचार समाज में शत्रुता और हिंसा फैलाते हैं, तो इसे रोका जा सकता है।

फारूक बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2019)- धार्मिक प्रचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध तभी लगाया जा सकता है जब वह समाज में शत्रुता या हिंसा फैलाने का प्रयास करे।

अनुच्छेद 19(1)(क) और धार्मिक स्वतंत्रता में संतुलन- धार्मिक विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। धर्म का प्रचार कर सकते हैं। धार्मिक मुद्दों पर बहस और तर्क-वितर्क कर सकते हैं। धार्मिक सामग्री प्रकाशित कर सकते हैं। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। धर्म के नाम पर हिंसा, दंगे या सांप्रदायिकता नहीं फैला सकते। फेक न्यूज या भड़काऊ सामग्री के माध्यम से समाज में तनाव पैदा नहीं कर सकते। अनुच्छेद 19(1)(क) और धार्मिक स्वतंत्रता एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर व्यक्ति को अपने धार्मिक विचार व्यक्त करने और प्रचार करने का अधिकार है। लेकिन, यह अधिकार अनुच्छेद 19(2) के तहत कुछ सीमाओं के अधीन है। यदि कोई धार्मिक अभिव्यक्ति हिंसा या सांप्रदायिक तनाव पैदा करती है, तो इसे रोका जा सकता है।

अनुच्छेद 21- भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो "जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार" को सुनिश्चित करता है। इसका सीधा संबंध धार्मिक स्वतंत्रता से नहीं है, लेकिन इसका व्यापक अर्थ धर्म के स्वतंत्र पालन को भी सुरक्षित रखता है। अनुच्छेद 21 के तहत "किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। यह हर व्यक्ति (नागरिक और गैर-नागरिक) को जीवन और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। कोई भी राज्य बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त नहीं कर सकता। इसमें सम्मानजनक जीवन जीने, गरिमा, निजता, भोजन, स्वास्थ्य, पर्यावरण और धर्म का पालन करने का अधिकार शामिल है।

अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार के तहत धार्मिक स्वतंत्रता को भी प्रभावित करता है।

जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक- किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म से जबरन परिवर्तित करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाता है। "शुद्धि" या "घर वापसी" जैसे अभियान, यदि जबरन किए जाते हैं, तो यह अनुच्छेद 21 के खिलाफ हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्म परिवर्तन का अधिकार तभी वैध है जब वह स्वेच्छा से किया जाए।

धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करने का अधिकार- यदि कोई धार्मिक प्रथा व्यक्ति के सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार का हनन करती है, तो वह संविधान के विरुद्ध हो सकती है। उदाहरण- सती प्रथा, बाल विवाह, ट्रिपल तलाक जैसी प्रथाओं को अदालतों ने असंवैधानिक करार दिया है क्योंकि ये अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं।

बुर्का, हिजाब और धार्मिक पहनावे का अधिकार- व्यक्तिगत पसंद के तहत हिजाब, बुर्का, पगड़ी या किसी अन्य धार्मिक पहनावे को चुनने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आती है। लेकिन, यदि कोई संस्थान ड्रेस कोड लागू करता है और यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या सुरक्षा के अधीन है, तो इसे न्यायिक समीक्षा के अधीन रखा जा सकता है।

धार्मिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता- अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति को किसी भी धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा) में जाने का अधिकार है। लेकिन, यदि किसी धार्मिक स्थल पर प्रवेश जाति, लिंग या अन्य आधारों पर प्रतिबंधित किया जाता है, तो यह अनुच्छेद 21 और 15 दोनों का उल्लंघन हो सकता है। उदाहरण- सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 और 14 (समानता का अधिकार) के तहत महिलाओं को प्रवेश देने का निर्णय लिया।

भीड़ द्वारा धर्म के नाम पर हिंसा (लिंचिंग) का विरोध- यदि किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर मारपीट या हिंसा (लिंचिंग) का सामना करना पड़ता है, तो यह अनुच्छेद 21 के तहत अवैध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग को संविधान के खिलाफ बताते हुए इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की आवश्यकता जताई है।

न्यायिक फैसले और अनुच्छेद 21 में धार्मिक स्वतंत्रता

(i) स्टेनिसलॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1977 एससी 908, (1977) 1 एससीसी 677- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। धर्म का प्रचार अनुच्छेद 25 और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन दो अलग चीजें हैं।

(ii) शाह बानो बनाम मोहम्मद अहमद खान, एआईआर 1985 एससी 945, (1985) 2 एससीसी 556- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। इस फैसले के बाद मुस्लिम महिलाओं (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित किया गया।

अनुच्छेद 21 और धार्मिक स्वतंत्रता एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता तब तक स्वीकार्य है जब तक वह व्यक्ति की गरिमा, जीवन और स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करती। किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोई भी धार्मिक प्रथा, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है, उसे संविधान के तहत चुनौती दी जा सकती है।

अनुच्छेद 51A(ड.)- सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे धार्मिक सद्भाव बनाए रखें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें।

2. भारतीय न्याय संहिता, 2023 में धार्मिक अपराधों से संबंधित धाराएँ

भारतीय दंड संहिता में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने या सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले अपराधों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं:

धारा 196: धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक सौहार्द्र को भंग करता है या करने का प्रयत्न करता है तो वह 3 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

धारा 197: राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, कथन करेगा तो वह 3 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय- 16 में धारा- 298 से 302 तक धर्म से संबन्धित अपराधों के विषय प्रावधान किया गया है।

धारा 298: किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करने पर वह 2 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा।
धारा 299: जानबूझकर और दुर्भावनापूर्वक किसी भी धर्म या धार्मिक भावनाओं का अपमान करने पर दंड का प्रावधान किया गया है वह 3 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा।
धारा 300: धार्मिक उपासना या अनुष्ठान में विघ्न डालने पर वह 1 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा।
धारा 301: कब्रगाहों या धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से घुसने और अपवित्र करने पर वह 1 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा।
धारा 302: किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से अपमानजनक शब्द कहने या कार्य करने पर वह 1 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 : -
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (National Security Act, 1980) भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इसे सार्वजनिक व्यवस्था, भारत की रक्षा, विदेशी संबंधों की सुरक्षा, और आवश्यक सेवाओं एवं आपूर्ति को बनाए रखने के लिए लागू किया गया था। किसी व्यक्ति को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से रोकना, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या देश की अखंडता के लिए खतरा बन सकती हैं। आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, जासूसी, राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों, और तस्करी जैसी गतिविधियों को रोकना। इस कानून के तहत बिना मुकदमे के किसी व्यक्ति को 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। सरकार के पास यह शक्ति होती है कि वह किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून-व्यवस्था के लिए खतरा मानते हुए उसे गिरफ्तार कर सकती है। प्रारंभ में 3 महीने के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। इसके बाद मामले की समीक्षा एक सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) द्वारा की जाती है, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं। यदि आवश्यक समझा जाए, तो हिरासत की अवधि बढ़ाकर 12 महीने तक की जा सकती है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार नहीं होता। सरकार को यह बताने की आवश्यकता नहीं होती कि उसे क्यों हिरासत में लिया गया है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकारों को यह शक्ति देता है कि वे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा मानते हुए गिरफ्तार कर सकती हैं। राज्यपाल या केंद्र सरकार के अधिकारी भी इस कानून के तहत आदेश जारी कर सकते हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तारी निम्नलिखित कारणों से की जा सकती है : -

- राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा (जैसे जासूसी, आतंकवाद)।
- सार्वजनिक व्यवस्था भंग करना (दंगे, सांप्रदायिक हिंसा)।
- भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुँचाना।
- आवश्यक आपूर्ति या सेवाओं को बाधित करना (जैसे खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, पानी, बिजली आदि)।

NSA के अंतर्गत कुछ चर्चित मामले –
अयूब खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य एआईआर 1992 SC 1236- मध्य प्रदेश में अयूब खान को NSA के तहत हिरासत में लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने NSA के दुरुपयोग पर चिंता जताई और कहा कि इस कानून का उपयोग केवल गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में ही होना चाहिए।
डॉ. कफील खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 2020 All 234- डॉ. कफील खान को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिए गए एक भाषण के बाद NSA के तहत गिरफ्तार किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी हिरासत को अवैध घोषित करते हुए रिहाई का आदेश दिया।
मुथुमणि बनाम तमिलनाडु राज्य एआईआर 1981 SC 1234- तमिलनाडु में एक पत्रकार मुथुमणि को NSA के तहत हिरासत में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NSA का उपयोग असहमति की आवाज़ को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

चंद्रशेखर आज़ाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 2020 All 567- भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध के दौरान NSA के तहत गिरफ्तार किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी हिरासत को अवैध मानते हुए रिहाई का आदेश दिया।
2018: उत्तर प्रदेश में NSA के तहत कुछ लोगों को गोहत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
2020: COVID-19 महामारी के दौरान कुछ लोगों पर NSA लगाया गया, जब उन्होंने सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया।
2021: मध्य प्रदेश में NSA के तहत लोगों को सांप्रदायिक दंगों में शामिल होने के आरोप में हिरासत में लिया गया।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 एक कठोर कानून है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक है। हालाँकि, इसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का भी खतरा रहता है, इसलिए इसका सतर्कता से और केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही प्रयोग किया जाना चाहिए।

4. गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 - UAPA) भारत में आतंकवाद और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया एक सख्त कानून है। यह कानून किसी संगठन या व्यक्ति को आतंकी गतिविधियों, देशद्रोह या राष्ट्र-विरोधी कार्यों में संलिप्त होने पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।
UAPA का उद्देश्य- भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखना, आतंकवाद और देशद्रोही गतिविधियों को रोकना, सरकार को संदिग्ध व्यक्तियों, संगठनों और संपत्तियों पर कार्रवाई करने का अधिकार देना।
गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के मुख्य प्रावधान-
(i) गैरकानूनी गतिविधियों की परिभाषा- UAPA के तहत "गैरकानूनी गतिविधियों" को परिभाषित किया गया है, जिसमें शामिल हैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियाँ, आतंकवादी गतिविधियाँ (संगठित अपराध, बम धमाके, जासूसी, फंडिंग इत्यादि), राष्ट्र-विरोधी प्रचार या संगठनों को समर्थन देना, आतंकी संगठनों से जुड़े व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना।
(ii) संगठन और व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान- 2019 में संशोधन के बाद, सरकार को अधिकार मिला कि किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। पहले यह प्रावधान केवल संगठनों पर लागू होता था, लेकिन अब व्यक्ति भी इस कानून के तहत आतंकवादी घोषित हो सकते हैं। आतंकवादी घोषित किए गए व्यक्ति की संपत्ति जब्त की जा सकती है और उसे बिना मुकदमे के 180 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है।
(iii) जमानत और न्यायिक प्रक्रिया- UAPA के तहत जमानत पाना बेहद कठिन होता है अगर अभियुक्त खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाता, तो उसे जमानत नहीं दी जाती। पुलिस को किसी आरोपी को 180 दिनों तक चार्जशीट दाखिल किए बिना हिरासत में रखने का अधिकार है।
(iv) जांच एजेंसी के अधिकार- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को विशेष शक्तियाँ दी गई हैं कि वह बिना राज्य सरकार की अनुमति के किसी भी राज्य में UAPA के तहत कार्रवाई कर सकती है। जांच एजेंसियों को डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को जब्त करने का अधिकार है।

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत अपराध और दण्ड -

अपराध का प्रकार	सजा
आतंकवादी गतिविधियों में भागीदारी	मृत्युदंड या आजीवन कारावास
आतंकी संगठनों को वित्तीय सहायता देना	7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक
आतंकवादी गतिविधियों के लिए हथियारों और विस्फोटकों की आपूर्ति	5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक
किसी आतंकी संगठन की सदस्यता लेना	10 साल तक की सजा
गैरकानूनी संगठनों का प्रचार करना	सख्त दंड और जुर्माना

UAPA में संशोधन और कड़े प्रावधान

2004 संशोधन: आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए इसे मजबूत बनाया गया।
2008 संशोधन: मुंबई 26/11 हमलों के बाद इसे और सख्त किया गया।
2012 संशोधन: आतंकी फंडिंग से संबंधित सख्त प्रावधान जोड़े गए।
2019 संशोधन: किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित करने की शक्ति सरकार को मिली।

UAPA का विरोध और विवाद-

(i) मौलिक अधिकारों का उल्लंघन- कई मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन करता है।

(ii) मनमानी गिरफ्तारियाँ- इस कानून के तहत सरकार विरोधी कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और छात्रों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे इसके दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है।

(iii) कठोर जमानत प्रावधान- अन्य आपराधिक मामलों में अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होता है कि आरोपी दोषी है, लेकिन UAPA में आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करना पड़ता है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है।

UAPA के अंतर्गत कुछ चर्चित मामले

भीमा कोरेगांव मामला (2018): कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया।
जम्मू-कश्मीर मामले (2019-2021): कई राजनीतिक नेताओं को UAPA के तहत हिरासत में लिया गया।
दिल्ली दंगे (2020): CAA विरोध प्रदर्शनों के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं पर UAPA लगाया गया।
पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी (2021-2023): सरकार की आलोचना करने वाले कई पत्रकारों को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया।

UAPA, 1967 भारत की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक कानून है, लेकिन इसके कठोर प्रावधानों के कारण यह अक्सर विवादों में रहता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती प्रस्तुत करता है। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए पारदर्शिता और न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है।

5. राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम, 1971-

धारा-2 के अनुसार, जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान में या जनता को दृष्टिगोचर किसा अन्य स्थान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, अपवित्र करता है, या अन्य अवमान करता है तो वह 3 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

धारा- 3 के अनुसार, जो कोई आशयपूर्वक भारतीय राष्ट्रीय गीत को गाये जाने से रोकता है या ऐसे गाये जाने में लगे किसी जनसमूह में विघ्न डालता है तो वह 3 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

6. उपासना स्थल (विषेश उपबन्ध) अधिनियम, 1991-

धारा-6 के अनुसार, जो कोई किसी धार्मिक पंथ के किसी उपासना स्थल या उसके किसी भाग का उसी धार्मिक पंथ के भिन्न अनुभाग या भिन्न धार्मिक पंथ के या उसके किसी अनुभाग के उपासना स्थल में संपरिवर्तित करता है तो वह 3 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

भारत में राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराध -

(क) आतंकवाद भारतीय एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अधिनियम लागू किए गए हैं।

(ख) भारतीय न्याय संहिता,2023 में राज्य के विरूद्ध अपराधों के विषय में धारा 147 से 152 तक में किया गया है।

(ग) अलगाववाद और उग्रवाद- अलगाववादी आंदोलन जैसे कि कश्मीर, उत्तर-पूर्वी राज्यों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में देखे जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 और आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट (AFSPA) इनसे निपटने के लिए बनाए गए हैं।

(घ) साम्प्रदायिक दंगे और घृणा अपराध- भारत में धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना संवैधानिक बाध्यता है। भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 196, 299, 353 के तहत सांप्रदायिक हिंसा और घृणा फैलाने वाले अपराधों पर नियंत्रण रखा जाता है।

नकली खबरें और साइबर अपराध- गलत सूचनाएं और फर्जी खबरें समाज में विद्वेष और राष्ट्रीय अस्थिरता पैदा कर सकती हैं। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act), 2000 के तहत कार्रवाई की जाती है। नकली खबरें और गलत सूचनाएँ समाज में अफवाहें, सांप्रदायिक तनाव, दंगे, राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा को बढ़ावा दे सकती हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग के कारण फेक न्यूज बड़ी तेजी से फैलती हैं, जिससे कानून-व्यवस्था पर भी असर पड़ता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act), 2000-

धारा 66D: ऑनलाइन फर्जी पहचान बनाकर गलत सूचना फैलाने पर कार्रवाई की जा सकती है।

धारा 69A: सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फर्जी खबरों वाली वेबसाइटों या पोस्ट को ब्लॉक कर सकती है।

धारा 79: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे फर्जी खबरों को बढ़ावा न दें।

राष्ट्र-विरोधी गतिविधियाँ और संगठनों पर प्रतिबंध- भारत सरकार ने कई संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रभावित करते हैं, जैसे कि जमात-उद-दावा, सिमी, और खालिस्तान समर्थक समूह।

धार्मिक अपराधों से निपटने के लिए कानूनी प्रक्रिया -

धार्मिक अपराधों से निपटने के लिए भारतीय न्याय प्रणाली में पुलिस में शिकायत दर्ज करना, अदालत में मुकदमा चलाना। विधि में धार्मिक अपराधों को रोकने के लिए कड़े प्रावधान करता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना और देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना है।

विधिक प्रतिक्रिया और न्यायिक दृष्टिकोण :-

उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है और इसका उपयोग राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता।

7. निष्कर्ष और सुझाव :-

भारत में राष्ट्र-विरोधी अपराधों पर कठोर कानून मौजूद हैं, लेकिन इनकी प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। कानूनों का संतुलित उपयोग के तहत दमन के बजाय निष्पक्ष और न्यायसंगत क्रियान्वयन किया जाए। साइबर जागरूकता अभियान के तहत गलत सूचना और नफरत फैलाने वाली खबरों के विरुद्ध कार्रवाई को मजबूत किया जाए। सामुदायिक संवाद और शिक्षा के तहत सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम लागू किए जाएं। न्यायिक निगरानी के तहत कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा तंत्र बनाया जाए।

संदर्भ:-

1. https://hi.wikipedia.org
2. बेयर एक्ट- भारत का संविधान, 1950
3. बेयर एक्ट- भारतीय न्याय संहिता, 2023
4. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980
5. https://www.mha.gov.in
6. https://indiankanoon.org
7. गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967
8. राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम, 1971
9. उपासना स्थल (विषेश उपबन्ध) अधिनियम, 1991

10. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act), 2000

डॉ० सुनील कुमार मिश्रा
असिसटेंट प्रोफेसर, विधि संकाय
नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज, उत्तर प्रदेश
ई-मेलः sunil.8512@gmail.com
मोबाइल नं0- 6386636733
डॉ० मोनिका सिंह
असिसटेंट प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग
नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज, उत्तर प्रदेश